

पत्रांक: -

840/मु

दिनांक: 24/11/11

नगर निगम कार्यालय, मुंगेर ।

प्रेषक:-

नगर कार्यपालक पदाधिकारी,
नगर निगम, मुंगेर ।

सेवा में,

जिला सूचना विज्ञान पदाधिकारी,
मुंगेर ।

विषय:-

माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेश रिट नं०- 196/2001 के आलोक में आश्रय विहित लोगों के लिये रैन बसोरा से संबंधित जानकारी को अपलोड किये जाने के संबंध में ।

महाशय,

संपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि सर्वोच्च न्यायालय के रिट नं०- 196/2001 People's union for civil liberties w/s union of India and others के आलोक में नगर विकास एवं आवास विभाग के निदेशानुसार नगर निगम, मुंगेर रतार से दो रैन-बसोरा का निर्माण किया गया है। जिसमें एक छोटी केलावाड़ी में गोयनका धर्मशाला के सामने है, जबकि दूसरा बस टैक्सी स्टैण्ड में। पहला स्थायी है और दूसरा अस्थायी रूप से। शौचालय और पानी की सुविधा के साथ-साथ रात्रि विश्राम करने वालों के लिए सशुल्क कमबल की भी व्यवस्था है। साथ ही मांगे जाने पर खाने की भी उपलब्धता है, जिसके लिए उचित शुल्क देय है।

अतः अनुरोध है कि इसे जिले के वेबसाईट पर अपलोड करने की कृपा की जाए।

विश्वरामाजन

नगर कार्यपालक पदाधिकारी,

नगर निगम, मुंगेर ।

24/11/11

24/11/11